भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4866
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों का मूल कार्य

†4866. श्री इटेला राजेंदरः
श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायतों को सभी मूल कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कार्य भी सौंपे गए हैं;

(ख) क्या राज्य अपनी योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु गैर-निर्वाचित संस्थाओं के बजाय स्थानीय निकायों की सेवाएं ले रहे हैं और अन्य पांच आयामों जैसे रुपरेखा, वित्त, कर्मचारी, क्षमता संवर्धन/निर्माण और जवाबदेही का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) राज्यों के कार्य-निष्पादन हेतु किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में तेलंगाना सहित राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसी ग्राम पंचायतों, पंचायत संघों और जिला पंचायतों का ब्यौरा क्या है, जहां विगत 31 वर्षों के दौरान ऐसे कार्य किए गए?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ख):भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में "पंचायत", 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों कों, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल हैं, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता संबंधित राज्यों, जिनमें तेलंगाना राज्य भी शामिल है, द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते है, की सीमा पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, यह संबंधित राज्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों/अन्य संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करे या न करे। ऐसे अभिलिखों का रख-रखाव पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) से (घ):राज्यों ने पंचायतों को किस सीमा तक शक्तियां हस्तांतरित की हैं, इसका आकलन करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अंतरण रिपोर्ट 2015-16 को 26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए अध्ययन के आधार पर तैयार किया था, जिसमें संविधान के भाग-9 के तहत आने वाले क्षेत्रों के जिलों में एक जिला पंचायत, एक ब्लॉक पंचायत और एक ग्राम पंचायत तथा पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों से प्रत्येक में दो ग्राम पंचायतों को सैम्पल में शामिल किया गया था।

इस रिपोर्ट में, संचयी सूचकांक को दो पद्धतियों का उपयोग करते हुए तैयार किया गया था-

(i). डेल्फी तकनीक का इस्तेमाल कर विकसित किए गए वैचारिक माडल पर आधारित संशोधित पद्धति।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के दो भिन्न पक्षों के आधार पर संशोधित पद्धति वाले आकलित अंतरण का इस्तेमाल करते हुए संचयी सूचकांक-

(क) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों के अंतरण, अधिकारियों के स्थानांतरण, वित्त अंतरण और स्वायत्तता के प्रयोग को शामिल करते हुए विकेंद्रीकरण के परिचालन मुद्दे से जुड़े पहलुओं पर हुई प्रगति।

(ख) क्षमता निर्माण, संवैधानिक तंत्र के क्रियाशील बनाने और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता हेतु प्रणाली बनाने को शामिल करते हुए हस्तांतरण हेतु सहायक प्रणाली विकसित करने में उपलब्धि।

(ii) नीतिगत अंतरण सूचकांक, प्रचलन संबंधी अंतरण सूचकांक और प्रचलन की तुलना में समायोजित नीतिगत अंतरण सूचकांक तैयार करने के आधार पर सामान्य पद्धति।

इस सामान्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए संचयी सूचकांक में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के चार भिन्न पहलुओं पर राज्यों के निर्देशक रैंकिंग देने की कोशिश की गई -

(क) कार्यों का अंतरण ।

(ख) कर्मियों का स्थानांतरण।

(ग) पीआरआई को वित्त का अंतरण।

(घ) अवसंरचना, शासन और पारदर्शिता (आईजीटी) की प्रणाली को स्थापित करने में राज्यों की तुलनात्मक उपलब्धि ।

पंचायती राज मंत्रालय ने, तेलंगाना सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, उनसे अनुरोध किया था कि वे अपनी पंचायतों के कार्य-निष्पादन और विकेन्द्रीकरण के स्तर का मूल्यांकन करें तथा भविष्य के लिए राज्य की नीतियों और प्राथमिकताओं के संगत एक रोडमैप तैयार करें।

अंतरण रिपोर्ट 2015-16 को जारी करने के पश्चात, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, इस मंत्रालय ने

फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत्त करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर, तेलंगाना सहित राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की समग्र रैंक को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अंतरण सूचकांक का ब्यौरा **अनुबंध**में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों आदि के माध्यम से पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण करता है। यह मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें। पंचायती राज मंत्रालय सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान के उपयोग के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल भी प्रदान करता है। पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रत्येक चरण में सिस्टम जनित वाउचर, जियो -टैगिंग और पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारियों के माध्यम से की जाती है।

जहां तक पंचायत-वार ब्यौरे, जहां पिछले 31 वर्षों के दौरान पंचायतों का मूल्यांकन किया गया था, का सवाल है, तो पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में बनाया गया था और पंचायतों के मूल्यांकन से संबंधित 2004 से पहले के रिकार्ड मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। 2004 से, पंचायत अंतरण सूचकांक निम्नलिखित संगठनों द्वारा तैयार किया गया है-

2006-07	नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली
2007-08	नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली
2008-09	नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली
2009-10	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
2010-11	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
2011-12	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
2012-13	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
2013-14	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
2014-15	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई
2015-16	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई
2023-24	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुबंध

'पंचायतों का मूल कार्य' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. †4866 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की समग्र रैंक को दर्शाने वाले अंतरण सूचकांक का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रूपरेखा	कार्य	वित्त	पदाधिकारी	क्षमता में वृद्धि	जवाबदेही	समग्र रैंक
सामान्य श्रेणी राज्य								
1	आंध्र प्रदेश	60.08	30.50	43.19	68.78	76.69	60.49	54.43
2	बिहार	49.76	18.69	43.86	75.13	55.27	51.64	48.24
3	छत्तीसगढ़	68.51	42.39	51.45	78.33	47.61	58.17	56.26
4	गोवा	52.88	6.63	26.88	46.31	77.70	31.75	37.71
5	गुजरात	61.65	41.23	41.63	90.94	83.96	47.90	58.26
6	हरियाणा	73.30	16.82	40.38	38.48	35.35	41.93	39.33
7	झारखंड	42.30	27.56	30.05	27.83	24.72	16.47	27.73
8	कर्नाटक	74.43	57.62	70.65	80.11	71.59	81.33	72.23
9	केरल	83.56	53.86	62.89	82.99	71.11	81.18	70.59
10	मध्य प्रदेश	70.00	39.47	42.34	62.22	70.00	36.55	50.94
11	महाराष्ट्र	74.74	46.52	42.96	73.63	73.35	80.36	61.44
12	ओडिशा	69.20	57.46	53.57	27.42	43.43	51.92	50.03
13	पंजाब	47.26	31.97	36.36	8.20	26.34	24.87	29.34
14	राजस्थान	68.54	56.13	54.56	64.03	61.43	41.43	56.67
15	तमिलनाडु	66.83	60.24	55.78	84.25	84.29	71.00	68.38
16	**तेलंगाना**	**45.35**	**38.77**	**46.86**	**58.01**	**86.19**	**60.43**	**55.10**
17	उत्तर प्रदेश	54.64	46.89	51.76	63.13	74.44	76.07	60.07
18	पश्चिम बंगाल	62.30	33.07	52.96	67.76	70.63	57.87	56.52
उत्तर पूर्वी/ पर्वतीय राज्य								
19	अरूणाचल प्रदेश	41.50	12.70	6.83	5.74	37.40	22.56	17.96
20	असम	54.04	28.66	34.06	65.12	71.96	57.14	49.06
21	हिमाचल प्रदेश	62.22	23.01	48.41	70.06	83.68	39.41	53.17
22	मणिपुर	34.05	11.23	13.17	21.40	3.75	28.75	17.13
23	सिक्किम	65.27	42.59	43.50	31.42	53.23	34.94	43.91
24	त्रिपुरा	66.50	21.50	59.16	52.22	76.82	70.69	57.58
25	उत्तराखंड	70.95	16.68	47.11	60.49	56.02	52.72	49.11
संघ राज्य क्षेत्र								
26	अंडमान और निकोबार द्वीप	55.21	4.50	9.09	20.94	54.82	45.73	27.15
27	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	22.06	0.00	5.45	31.69	8.57	24.91	13.62

28	जम्मू एवं कश्मीर	23.07	11.88	13.29	36.97	55.08	39.76	27.85
29	लद्दाख	22.21	11.08	0.00	25.25	29.32	27.43	16.18
30	लक्षद्वीप	31.42	10.36	3.99	39.53	15.18	28.13	18.32
31	पुडुचेरी	9.31	4.63	16.16	21.49	13.75	29.33	16.16

स्रोत:*"राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" पर पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट*